न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 114/2025

1. बिमला देवी पत्नी श्री हंसराज, जाति जाट, निवासी 4 एल एल ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्ण पूनिया पुत्र श्री महिपाल जाति जाट निवासी सूरतपुरा, तहसील राजगढ जिला चूरू।
3. महिपाल पुत्र श्री दरिया सिंह, जाति जाट निवासी सूरतपुरा, तहसील राजगढ जिला चूरू।

– – **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. सतपाल पुत्र श्री सुल्तान, जाति नाई, निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. बलराम पुत्र श्री सुल्तान, जाति नाई, निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मोहन लाल पूनिया	प्रार्थीगण
2. श्री संजय जनवेजा	अप्रार्थी संख्या 1 व 2

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 18.07.2025

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 47/56 के मुरब्बा नम्बर 3 में किला नम्बर 9 ता 13 सालम कुल 5 बीघा रकबा दर्ज कागजात माल है। चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/79 के मुरब्बा नम्बर 3 में किला नम्बर 14, 16 ता 20 कुल 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है तथा चक 9 एच एच के खाता संख्या 37/96 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 15, मुरब्बा नम्बर 6 [illegible] नम्बर 3/1, 3/2, 4/2, 7, 14, 17, 24 कुल 1.519 हैक्टेयर कृषि भूमि [illegible] कागजात माल है। प्रार्थीगण पिछले 50 वर्ष से खाता संख्या 84/79 के मुरब्बा नम्बर [illegible] किला नम्बर 14 व खाता संख्या 37/96 के मुरब्बा [illegible] के किला नम्बर [illegible] की दक्षिणी दिशा में होते हुए अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 9 [illegible] 13 में आ जा कर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त रास्ता पिछले 50 वर्षो से चालू [illegible] उक्त रास्ता के अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण के रकबा मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 9 ता 13 में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 के पूर्वी दिशा में मंजूरशुदा रास्ता चल रहा है इसी रास्ता से होकर प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14, 15 में होते हुए अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते हैं। अब अप्रार्थीगण चक 9 एच एच के खाता संख्या 84/79 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14 व खाता संख्या 37/96 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 15 की दक्षिणी दिशा में जो रास्ता चल रहा है उससे प्रार्थीगण को आने जाने से रोकते हैं व रास्ता बंद करने की फिराक में है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कई बार कहा कि मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14, 15 के दक्षिणी दिशा में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करा लेवें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 टालमटोल करते रहे, लेकिन आखिर दिनांक 23–6–25 को रास्ता स्वीकृत कराने से कतई इन्कार हो गया। यही प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रार्थीगण को कारण उपलब्ध है। प्रार्थीगण चक 9 एच एच के खाता संख्या 47/56 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 9 ता 13 में अपने नाम की कृषि भूमि में आने जाने के लिए व काश्त करने के लिए चक 9 एच एच के खाता संख्या 84/79 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14 व खाता संख्या 37/96 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नं. 15 की दक्षिणी दिशा में 2–2 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण उक्त रास्ता के बदले में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मुआवजा के रूप में डी. एल. सी. दर के अनुसार मुआवजा राशि या रास्ता में आई भूमि के बदले में भूमि अपनी कृषि भूमि में से देने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए व काश्त करने के लिए उक्त रास्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है, जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/79 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14 में से आने व खाता संख्या 37/96 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नं. 15 में आने जाने व कृषि कार्य करने हेतु 2–2 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा इकबालिया(सहमति) जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 47/56 के मुरब्बा नम्बर 3 में किला नम्बर 9 से 13 कुल 5 बीघा कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण पिछले 50 वर्षो से चक 9 एच एच के खाता संख्या 84/79 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14 व खाता संख्या 37/96 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 15 की दक्षिणी दिशा में होते हुए अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 9 ता 13 में आ जा कर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त रास्ता पिछले 50 वर्षो से चालू है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के रकबा मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर [illegible] में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर [illegible] 15, 16 व 25 के पूर्वी दिशा में मंजूर शुदा रास्ता [illegible] प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14, 15 में होते हुए अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते हैं। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उक्त रास्ता जो पूर्व में चल रहा है उसे 10–10 फुट दोनों किलों में स्वीकृत करने के लिए सहमत है तथा उक्त रास्ते में आई

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कृषि भूमि को चक 9 एच एच के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 13 में लेने के लिए सहमत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि चक 9 एच एच के खाता संख्या 84/79 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14 व खाता संख्या 37/96 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 15 की दक्षिणी दिशा में 10–10 फुट रास्ता स्वीकृत किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

– :: आदेश ::–

बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस में निवेदन किया गया था कि प्रकरण में खाता संख्या 84/79 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14 में से आने व खाता संख्या 37/96 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नं. 15 में आने जाने व कृषि कार्य करने हेतु 2–2 बिस्वा चौड़ा रास्ता की मांग की गई थी किन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है इसलिए उक्त किला में 2–2 बिस्वा के स्थान पर 10–10 फुट रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत आपसी सहमति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 9 एच एच के खाता संख्या 84/79 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14 व खाता संख्या 37/96 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 15 की दक्षिणी दिशा में 10–10 फुट रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर स्वीकृत रास्ते के प्रतिकर स्वरूप प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 9 एच एच के मुरबा नम्बर 3 के किला नम्बर 13 में से जितनी भूमि रास्ता हेतु स्वीकृत की गई है उतनी भूमि अप्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिंनाक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner